समाहरणालय, कटिहार

आपदा प्रबंधन प्रशाखा

कँवल तनुज, भा०प्र०से०,
जिला पदाधिकारी, कटिहार
:- 06452-230581(O) 06452-230583(R)
:- +91-9473191375 फैक्स :- 06452230880
E-mail :- dm-katihar.bih@nic.in

—:: आदेश ::—

अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना का पत्रांक–1252 / आ०प्र० दिनांक–06.04.2020 एवं 1285 / आ०प्र० दिनांक–09.04.2020 के आलोक में **CFMS Order No.–331 दिनांक–10.04.2020 द्वारा** वर्तमान वित्तीय **वर्ष 2020–21 में मुख्य बजट शीर्ष–2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष–02 बाढ़** चक्रवात आदि, **लघुशीर्ष–101–अनुग्रहिक** राहत, उपशीर्ष–0002–NA, मांग संख्या 39, विपत्र **कोड 39–2245021010002** (युनिट **कोड–2103, आहार एवं पथ्य**), विस्तृत शीर्ष–21–सामग्री और आपूर्ति, विषय शीर्ष–03–आहार / पथ्य के अन्तर्गत **Allotment ID—19382 & 95927**, द्वारा **मो० 25,00,000.00 + 10,00,000.00 = कुल 35,00,000.00 (पैंतीस लाख)** रूपये मात्र आवंटन प्राप्त हुआ है। **उक्त प्राप्त आवंटन में से निम्नांकित अंचलाधिकारी, कटिहार जिला को उनके नाम के सामने पूर्व में उपावंटित राशि के अतिरिक्त वर्तमान "कॉलम–5" में अंकित राशि को उपावंटित करते हुए निकासी करने की स्वीकृति दी जाती है।**

निदेश दिया जाता है कि **उपावंटित राशि का व्यय विभागीय पत्रांक–1387 / आ०प्र० दिनांक–19.04.2020, 1210 / आ०प्र० दि०–31.03.2020, 1218 / आ०प्र० दिनांक–01.04.2020, 2112 / आ०प्र० दि०–14.07.2019, 3174 / आ०प्र० दिनांक–24.08.2016 एवं अधोहस्ताक्षरी का पत्रांक–388 दिनांक–31.03.2020 एवं पत्रांक–99 / आ०प्र० दिनांक–20.04.2020 के आलोक में** खाद्यान्न की आपूति इकाई मद के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय हेतु **वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान जिलान्तर्गत कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को नियंत्रित करने के निमित्त आपदा राहत केन्द्र / सीमा आपदा राहत केन्द्र एवं गाँवों के विद्यालय के Quarantine केन्द्र में संचालित सामुदायिक रसोई (Community Kitchen) में प्रभावितों को खिलाये जाने वाले पका भोजन / भोजन सामग्री एवं बच्चे के लिए दूध (Sudha Milk Powder) आदि में हुए / होनेवाले व्यय का भुगतान / समायोजन के लिए निर्गत किया जा रहा है।** उपावंटित राशि का व्यय उसी मद मे किया जाय जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नही किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

उपावंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग / जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, कटिहार को दिनांक 15.03.2021 तक अचूक रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

यह भी निदेशित किया जाता है कि कोषागार से राशि की निकासी कर बैक खाते में नही रखेगें तथा व्यय नही होने की स्थिति में **दिनांक 15.03.2021** तक प्रत्यार्पण प्रतिवेदन भेजना भी सुनिश्चित करेंगे। यह आवंटन आदेश **वित्त विभाग के ज्ञापांक–2561 / वि0(2) दिनांक–17.04.1998** के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।

क्र०	संबंधित निकासी एवं व्ययन पदा० / अंचलाधिकारी का नाम	विभाग से जिला को प्राप्त आवंटन	शीर्ष 2245–02–101–0002–NA, खाद्यान्न की आपूर्ति विपत्र कोड 39–2245021010002 (युनिट कोड–2103, आहार एवं पथ्य) मांग संख्या–39 के अन्तर्गत उपावंटित राशि			अभ्युक्ति (अवशेष राशि)
			पूर्व	वर्तमान	कुल योग	
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंचलाधिकारी, कटिहार	35,00,000/-	3,40,000.00	-	3,40,000.00	6,00,000/-
2.	अंचलाधिकारी, हसनगंज		70,000.00	20,000.00	90,000.00	
3.	अंचलाधिकारी, डंडखोरा		50,000.00	20,000.00	70,000.00	

E:\Rajat New Data\TB Das\Sub Allotment20-21.docx

4.	अंचलाधिकारी, कोढा	35,00,000/-	1,00,000.00	2,00,000.00	3,00,000.00	6,00,000/-
5.	अंचलाधिकारी, फलका		1,80,000.00	30,000.00	2,10,000.00	
6.	अंचलाधिकारी, समेली		50,000.00	20,000.00	70,000.00	
7.	अंचलाधिकारी, बरारी		2,00,000.00	50,000.00	2,50,000.00	
8.	अंचलाधिकारी, कुर्सेला		70,000.00	1,50,000.00	2,20,000.00	
9.	अंचलाधिकारी, प्राणपुर		1,00,000.00	50,000.00	1,50,000.00	
10.	अंचलाधिकारी, मनसाही		50,000.00	-	50,000.00	
11.	अंचलाधिकारी, मनिहारी		2,50,000.00	1,00,000.00	3,50,000.00	
12.	अंचलाधिकारी, अमदाबाद		1,50,000.00	50,000.00	2,00,000.00	
13.	अंचलाधिकारी, आजमनगर		2,50,000.00	20,000.00	2,70,000.00	
14.	अंचलाधिकारी, कदवा		1,30,000.00	30,000.00	1,60,000.00	
15.	अंचलाधिकारी, बलरामपुर		60,000.00	30,000.00	90,000.00	
16.	अंचलाधिकारी, बारसोई		50,000.00	30,000.00	80,000.00	
		कुल योग	**21,00,000.00**	**8,00,000.00**	**29,00,000.00**	

मो० (आठ लाख) रूपये मात्र।

(नोट – उक्त आवंटन में नगर निगम एवं नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत संचालित सामुदायिक रसोई/ आपदा राहत केन्द्र का उपर्युक्त मद में व्यय हेतु राशि निहित है एवं व्यय निम्नानुसार किया जाना है:–

(i) नगर निगम, कटिहार का व्यय अचंलाधिकारी, कटिहार।

(ii) नगर पंचायत, बारसोई का व्यय अंचलाधिकारी, बारसोई।

(iii) नगर पंचायत, मनिहारी का व्यय अंचलाधिकारी, मनिहारी।)

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

ज्ञापांक 104 **/ आ०प्र० II – 25/2020, दिनांक** 22/04/2020

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित अंचलाधिकारी, कटिहार जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला प्रोग्राम पदा० (स्थापना), शिक्षा विभाग, कटिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, कटिहार एवं बारसोई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाहरणालय, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई०टी० प्रबंधक, कटिहार को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– मेकर/चेकर, कटिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।